बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

नोवल कोरोना वायरस (COVID 19)

लॉकडाउन अवधि में पशुपालन संबंधी गतिविधियों के संबंध में आवश्यक मार्ग निदेश

पशुधन द्वारा
जीवन में गुणात्मक सुधार

1 पशु चिकित्सालय (सरकारी एवं निजी)

- सभी सरकारी एवं निजी पशु चिकित्सालय/औषधालय/क्लिनिक खुले रहेंगे।
- पशु पैथोलॉजिकल लैब/पशु दवा की दुकानें खुली रहेंगी।
- कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खुले रहेंगे।
- टीकाकरण, दवाई तथा पालतु पशुओं एवं पक्षियों के लिए संबंधित उपकरण सामग्रियों की आपूर्ति की जायेगी एवं संबंधित दूकानें खुली रहेंगी।

2 वेटनरी कर्मियों का आवागमन

- अंतर राज्य एवं अंतर्राज्यीय आवागमन में सभी पशु चिकित्सकों/पाराभेट/टीकाकर्मी तथा कृत्रिम गर्भाधान कर्मी के आवागमन की छूट रहेगी।
- एम्बूलेट्री तथा पशु चिकित्सकों के वाहन के आवागमन में छूट रहेगी।

3 पशु चारा संबंधी

- पशु चारा की दुकानें खुली रहेंगी तथा आवागमन जारी रहेगा।
- पॉल्ट्री के चारा/दाना तथा मछलियों के चारा/दाना तथा उसमें लगने वाले कच्चे माल का परिवहन जारी रहेगा।
- शहरी क्षेत्रों के आस–पास पशु चारा की उपलब्धता बनायें रखना आवश्यक है।
- गोशाला सहित पशु शेल्टर होम का संचालन एवं चारा परिवहन में छूट रहेगी।
- परिवहन संबंधित आवश्यक पास जिला पदाधिकारी अथवा उनके प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर से निर्गत किये जायेंगे।

4 मुर्गी/अण्डा/मांस/मछली बिक्री संबंधी

- मुर्गी, अण्डा, मांस एवं मछली की दुकानें खुली रहेंगी तथा उपरोक्त सामग्रियों का आवागमन पूर्ववत् चालू रहेगा।
- परिवहन संबंधित आवश्यक पास जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर से निर्गत किये जायेंगे।
- मुर्गी, अण्डा, मांस एवं मछली के सेवन से कोरोना वायरस नहीं फैलता है।
- हैचरी में उत्पादित चूजों तथा हैचिंग अण्डों का अंतर राज्य एवं अंतर्राज्यीय आवागमन में छूट रहेगी।

5 अण्डा की बिक्री संबंधी

- अनुदानित पॉल्ट्री फॉर्म में उत्पादित अण्डों को आँगनबाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध कराये जाने की छूट रहेगी।
- अण्डों के बिक्री के उपयोग में आने वाले कैरेट तथा बॉक्स के निर्माण एवं संबंधित कच्चे माल के आवागमन की छूट रहेगी।

6 पशुधन फॉर्म निर्माण से संबंधित श्रमिक

- ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन फॉर्म के निर्माण संबंधित गतिविधियाँ चालू रहेगी।
- नगर क्षेत्रों में निर्माण स्थल पर उपलब्ध स्थानीय श्रमिकों से ही पशुधन फॉर्म निर्माण कार्य कराया जा सकता है।
- पशु फॉर्म में कार्यरत श्रमिकों के आवागमन में छूट रहेगी।

उपरोक्त सभी गतिविधियों में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पशुपालन सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार द्वारा जनहित में प्रचारित